<u>समाहर्त्ता या समुचित सरकार</u>

<u>प्रारंभिक अधिसूचना</u>

<u>(अधिनियम—30 / 2013 की धारा—11(1) के अधीन)</u>

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—**नीमाडीह चादर संख्या—1**, थाना—**धनवार**, थाना सं0—47, अंचल—**धनवार**, जिला—गिरिडीह में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **कोडरमा—डोमचांच—खोरीमहुआ—जमुआ पथ (SH-13) निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार—संक्षेप यथा निम्न है :— यहां के रैयतों ने सर्वसम्मति से सड़क निर्माण हेतु सहमति दी है प्राकृतिक संपदा, मिट्टी एवं जल पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। भू—अर्जन के कारण कुल 0 (शून्य) परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवार के आय पर माप योग प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आजिविका का प्रावधान नहीं किया गया है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—**नीमाडीह चादर संख्या—1**, थाना—**धनवार**, थाना सं0—**47**, अंचल—**धनवार**, जिला—गिरिडीह में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.2450** एकड़ यानि **0.0991** हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है............

क्र0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	41	210	निजी	टांड़ 2	0.0010	भोला मोदी वगैरह पिता स्व. चमरू मोदी	रोड प्लॉट संख्या 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220	रोड प्लॉट संख्या 515, 504, 509, 510, 512, 561, 562, 984, 985, 986, 995	सिमाना नीमाडीह	सिमाना बरियारडीह
2	41	211	निजी	टांड़ 1	0.0010	भोला मोदी वगैरह पिता स्व. चमरू मोदी				
3	41	212	निजी	टांड़ 1	0.0020	बबुन मोदी पिता स्व. लाटो मोदी				
4	41	213	निजी	टांड़ 2	0.0100	सरयु मोदी वगैरह पिता स्व. प्रसादी मोदी वो काली मोदी वगैरह पिता स्व. बंधन मोदी				
5	50	215/1	निजी	टांड़ 2	0.0050	काली मोदी पिता स्व. बंधन मोदी				
6	50	217/1	निजी	टांड़ 2	0.0050	काली मोदी पिता स्व. बंधन मोदी				
7	50	215/2	निजी	टांड़ 2	0.0050	गोविन्द मोदी पिता स्व. झारी मोदी				

8	50	217/2	निजी	टांड़ 2	0.0050	गोविन्द मोदी पिता स्व. झरी मोदी				
9	50	216	निजी	टांड़ 2	0.0300	सरयु मोदी वगैरह पिता स्व. प्रसादी मोदी				
10	50	218/1	निजी	टांड़ 2	0.0075	गोविन्द मोदी पिता स्व. झरी मोदी				
11	50	218/2	निजी	टांड़ 2	0.0175	शांती देवी पति सुखदेव मोदी				
12	50	218/3	निजी	टांड़ 2	0.0175	भगवानी मोदी वगैरह माता स्व. यशोदा देवी				
13	50	218/4	निजी	टांड़ 2	0.0075	सरयु मोदी वगैरह पिता स्व. प्रसादी मोदी वो दुखी मोदी पिता स्व. देवी मोदी वो भोला मोदी वगैरह पिता स्व. झखर मोदी				
14	14	219/1	निजी	टांड़ 2	0.0070	सुमित्रा देवी पति मथुरा मोदी वो रेणु देवी पति योगेन्द्र मोदी वो रेणु देवी पति सुरेन्द्र मोदी				
15	14	219/2	निजी	टांड़ 2	0.0040	राजकुमार मोदी पिता स्व. झखर मोदी				
16	14	219/3	निजी	टांड़ 2	0.0050	भोला मोदी वगैरह पिता स्व. चमरू मोदी				
17	14	219/4	निजी	टांड़ 2	0.0040	सहदेव मोदी पिता स्व. तुलोचन मोदी				
18	21	220	निजी	टांड़ 2	0.0100	सहदेव मोदी पिता स्व. तुलोचन मोदी				
19	63	512	निजी	टांड़ 2	0.0200	रामलखन यादव वगैरह पिता स्व. भरत सिंह यादव				
20	62	515/3	निजी	टांड़ 2	0.0050	रामलखन यादव वगैरह पिता स्व. भरत सिंह यादव				
21	12	561	निजी	टांड़ 1	0.0100	रामलखन यादव वगैरह पिता स्व. भरत सिंह यादव				
22	12	562	निजी	मकान 3 सहन 1	0.0010	रामलखन यादव वगैरह पिता स्व. भरत सिंह यादव				
23	62	515/1	निजी	टांड़ 1	0.0025	मरण राय पिता स्व. सोमर राय				
24	62	515/2	निजी	टांड़ 1	0.0025	गोपाली राय पिता स्व. सोमर राय				
25	27	984	निजी	टांड़ 2	0.0300	अहमद अली वगैरह पिता स्व. अमरली अली वो सुलेमान अली वगैरह पिता स्व. गेनी अली				
26	29	986/1	निजी	टांड़ 2	0.0200	लियाकत अंसारी पिता स्व. अब्दुल मियां				
27	29	986/2	निजी	टांड़ 2	0.0100	अलीजान अंसारी वगैरह पिता स्व. पुना मियां वो इब्राहिम अंसारी पिता स्व. बोधा मियां वो मो. नोशाद अंसारी वो युनुस अंसारी पिता स्व. बोधा मियां वो मुख्तार अंसारी पिता स्व. गंभीर मियां				
कुल					0.2450					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013) की धारा–11 (1)

के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेद्यन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह और उनके कर्मचारी..को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनो) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

26.07.19 26/7/19 26/7/19

समाहर्त्ता, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1048 /भू0अ0 दिनांक 29/07/19

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी <u>असाधारण/पाक्षिक</u> अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, धनवार एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला अवर निबंधक, धनवार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.07.19 26/7/19 26/7/19

समाहर्त्ता, गिरिडीह।